

# गहलोत के अंधे विरोध के कारण ई.आर.सी.पी. प्रोजैक्ट बरसों लटका और अनाप-शनाप महंगा हो गया

## लागत अनाप-शनाप बढ़ गई, क्योंकि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं था इसलिए केवल प्रावधान करके छोड़ दिया और प्रोजैक्ट को टालते रहे

**-नेगु मित्तल-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
 नई दिल्ली, 12 सितम्बर। पूर्वी राजस्थान के तेरह जिलों की ई.आर.सी.पी. योजना को पांच साल तक लटकाने का काम अशोक गहलोत ने किया था, वरना जोधपुर सांसद और उस समय के जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की सलाह मानकर ई.आर.सी.पी. को मोदी सरकार के समय घोषित नदी जोड़ो परियोजना पी.के.सी. (पार्वती कालीसिंध चंबल) के साथ जोड़ने की सहमति दे दी होती तो मोदी सरकार को इसे राष्ट्रीय योजना घोषित करना पड़ता और 90 प्रतिशत पैसा केन्द्र से आता एवं आज ई.आर.सी.पी. का आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका होता क्योंकि तब मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सहमति दे दी होती जैसे कि आज मोहन यादव ने दी है।

राजा जब जलजगत जित का रास्ता अखिरापर कर ले तो प्रजा के हित को सर्वोपरि न माने तो वही हालत होती है जो आज इन तेरह जिलों की जनता की हो रही है।

बहरहाल, अशोक गहलोत ने जित में चुनावी साल में ई.आर.सी.पी. कॉरपोरेशन की घोषणा की और 9000

■ उन्होंने केन्द्र सरकार की मदद शायद इसलिए ठुकराई, क्योंकि तब जोधपुर के सांसद गजेन्द्र सिंह शेखावत केन्द्र सरकार में जल संसाधन मंत्री थे और गहलोत को लगता था कि इस पर शेखावत को वाहवाही मिलेगी।

■ फिर, गहलोत ने चुनावी साल के अपने बजट में 9,000 करोड़ रूपए के प्रावधान के साथ ई.आर.सी.पी. कॉरपोरेशन की घोषणा कर दी, पर, वित्त विभाग ने एक फूटी कौड़ी भी आवंटित नहीं की और सिंचाई विभाग को अपने स्तर पर बजट जुटाने को कहा गया।

■ इसके बाद शुरू हुआ जमीनों और रेत बेचने का सिलसिला और भारी भ्रष्टाचार का खेल। सार यह है कि ई.आर.सी.पी. को गहलोत ने राजनैतिक खिलौना बना डाला व चहेती कम्पनियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया।

शुरू करना चाहती थी जबकि गहलोत को अच्छी तरह केन्द्र की सहायता के बिना इतनी बड़ी परियोजना का काम सुचारू रूप से आगे बढ़ाना संभव नहीं है।

इसी जित में गहलोत ने दो बांध और कुछ नहरों के निर्माण का टेंडर आमंत्रित कर लिया और जब में नहीं होने के कारण एच.ए.एम. मॉडल पर टेंडर आमंत्रित किए। इस मॉडल में सब कुछ डिजाइन कंपनी को करना है लेकिन सरकार काम पूरा होने तक 40 प्रतिशत पैसा देगी जबकि 60 प्रतिशत पैसा सरकार इस अवधि से 20 साल तक ब्याज के साथ हर साल देगी। आखिर करोड़ों रूपए का यह ब्याज जनता क्यों भुगतने जा रही है जब केन्द्र सरकार अब एम.ओ.यू. करवा चुकी है और 90 प्रतिशत राशि केन्द्र देने को तैयार दिखाई दे रहा है।

लम्बोत्तुआब यही है कि ई.आर.सी.पी. को एक राजनीतिक खिलौना तो गहलोत बना ही चुके हैं लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी कंपनी के साथ सांठगांठ करके उसे भारी आर्थिक लाभ देने के टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर गए, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया कार्टल साफ दिखाई देता है।

### ‘उन्हें ढोल-ताशे बजाने दो’

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
 नई दिल्ली, 12 सितम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी. वैस्टर्न घाट ज़ोन बैंच) के उस आदेश पर स्टे दे दिया, जिसमें पुणे में भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान ढोल-ताशे-झांझ समूहों में 30 लोगों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी।

महाराष्ट्र सरकार, पुणे प्रशासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अन्य को नोटिस जारी करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी.परदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बैंच ने कहा, “लोगों को ढोल-ताशा बजाने दो, यह तो पुणे की भावनाओं से जुड़ा आयोजन है।”

ग्रीन ट्रिब्यूनल की वैस्टर्न घाट ज़ोन बैंच के आदेश पर स्टे देते हुए, अदालत ने कहा, “(एन.जी.टी. के) निर्देशों से वे लोग प्रभावित होंगे, जो गणेशोत्सव के दौरान ढोल-ताशा बजाते हैं। एन.जी.टी. की निर्देश संख्या 4 पर स्टे रहेगा। उन्हें ढोल-ताशा बजाने दो। यह पुणे की भावनाओं से जुड़ा आयोजन है।”

# ‘फॉरैन्सिक लैब्स में पैन्डिंग 18,282 केस प्रदेश के किस-किस क्षेत्र से संबंधित हैं?’

जयपुर, 12 सितंबर (का.सं.)। हाईकोर्ट ने गृह विभाग से पूछा है कि इस वर्ष 31 अगस्त तक प्राप्त डी.एन.ए. सैंपल में से कितने प्रकरणों में जांच रिपोर्ट दस दिन के बाद दी गई। इसके अलावा भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत क्या प्रदेश में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि और उनमें प्रशिक्षित विशेषज्ञ व मानव संसाधनों को बढ़ाने के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

गौरतलब है कि अदालत में एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान फॉरेंसिक साईंस लैब (एफ.एस.एल.) द्वारा लम्बे समय तक रिपोर्ट जारी नहीं किये जाने के कारण लैबों की गुणवत्ता व मापदंड सुधारने के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को आदेश जारी

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया

हाईकोर्ट ने एफ.एस.एल. की रिपोर्ट जारी नहीं किए जाने तथा लैब्स की गुणवत्ता व मापदंड सुधारने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय से जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट ने पूछा कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत प्रदेश में फॉरैन्सिक लैब्स की संख्या बढ़ाने, उनमें प्रशिक्षित विशेषज्ञ लगाने के बारे में सरकार का क्या एक्शन प्लान है।

उल्लेखनीय है कि जघन्य अपराधों के मामलों में सैंपल की अधिक दिनों तक जांच नहीं होने पर वह जांच योग्य नहीं रहता। सरकार ने अपने जवाब में आगे कहा कि जघन्य अपराधों के मामलों को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। वहीं इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 50 संबिदाकर्मी लगाए गए हैं और नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। गौरतलब है कि एकलपिठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने के आदेश इसलिए दिये थे क्योंकि जमानत के आवेदन पर सुनवाई करने के मामलों में भी एफ.एस.एल. रिपोर्ट सही समय पर पेश नहीं की जा रही थी। उल्लेखनीय है कि निचली

# अशोक गहलोत ने सभी घोड़े...

**■ सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में गणेश विसर्जन के दौरान ढोल ताशे बजाने वाले समूहों में 30 से ज्यादा लोग नहीं होने के नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी है।**

याचिकाकर्ताओं, जिनमें ‘युवा वाद्य पाठक ट्रस्ट’ भी शामिल है, की ओर से प्रस्तुत एडवोकेट ने कहा कि ‘ढोल-ताशे’ का पुणे के गणेश उत्सव के लिए बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। इस उत्सव को होते 100 वर्ष से अधिक समय हो गया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तक चलेगा तथा इसमें उन्हें ज्यादा श्रम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हरियाणा चुनावों के लिए वित्त-पोषण का काम हड़दकार रहे हैं, इसलिए उन्हें धन की भी आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से, मुख्यमंत्री को ही पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है, जिससे वे चुनावों के लिए पैसे की व्यवस्था करके, इस मामले में पार्टी की मदद कर सकें।

गांधी परिवार उन्हें समायोजित करने मूढ़ में नहीं है, हालांकि सूत्रों का कहना है कि वे प्रियंका गांधी से सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा वे यदा-कदा उनकी बात सुन लेती हैं। सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह के ए.आई.सी.सी. में महासचिव पदों पर

नेता थे वे उन्हें इतने ज्यादा पसंद थे कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उनका चयन किया था, जिसे उन्होंने दो-दूक शब्दों में अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे राज्य के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। इन सब लम्बी-चौड़ी बातों तथा तिकड़मों के पीछे सचिन पायलट के प्रति उनकी घोर नफरत थी। गहलोत यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे कि सचिन पायलट उन्हें पछाड़ कर, मुख्यमंत्री नहीं बन जायें। इस परिदृश्य में, गहलोत अब पिछड़ गए हैं तथा जयपुर और नई दिल्ली में अब उनका कोई खास महत्व नहीं रहा है। इस विपरीत स्थिति में, वे अपनी वापसी के लिए तथा सांसारिक बने रहने के लिए अपने सारे सूत्रों तथा सम्पर्कों को काम में ले रहे हैं।

# मोदी का चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अवास पर जाना रास नहीं आया शिवसेना को

## शिवसेना और एन.सी.पी. के प्रमुख नेताओं ने इस मामले में आपत्ति जताई

मुंबई, 12 सितंबर (वार्ता) महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास अथाड़ी (एमवीए) ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भगवान गणेश की पूजा करने के लिए नयी दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के अवास पर जाने की 'अभूतपूर्व' बताया/शिवसेना (यूबीटी) के नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने संदिह जताया कि क्या शिवसेना के उद्भव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के अधीन न्याय मिलेगा। उन्होंने सीजेआई को महाराष्ट्र के दो प्रमुख राजनीतिक दलों - शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) से जुड़ी याचिका की सुनवाई से खुद को अलग करने की सलाह दी।

राउत ने कहा, 'न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ नंबर में विनयवृत्त हो रहे हैं। दिल्ली में भी कई जगहों पर गणेश उत्सव मनाया जाता है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मोदी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के अलावा किसी

# सीता की विनम्रता व दोस्ताना याद रहेगा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बोल सकते थे, उनकी भाषा इतनी सरल थी कि सड़क पर चलने वाले आम आदमी को भी समझ में आ जाती थी। अगर माकपा उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाती तो वे प.बंगाल से जीत जाते, जहाँ कांग्रेस उनका समर्थन करने के लिए तैयार थी।

राजनैतिक हलकों में माना जाता था कि येचुरी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सलाहकार थे और इंडिया गठबंधन के पीछे उनका बड़ा हाथ था।

12 अगस्त 1952 में चेन्नई में जन्मे येचुरी तेलुगु भाषी परिवार के थे। उनके पिता सर्वेश्वर सोमायाजुला येचुरी आंध्र प्रदेश परिवहन निगम में इंजीनियर थे, उनकी मां कल्याणम येचुरी सरकारी अफसर थीं। हैदराबाद में पले बड़े येचुरी ने दसवीं तक अलैं संट हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। वर्ष 1969 में तेलंगाना आंदोलन

के कारण वे दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने प्रेसीडेन्ट्स एस्टेट स्कूल में एडमिशन लिया और सी.बी.एस.ई. बोर्ड परीक्षा में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफेन्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में बी.ए. (ऑनर्स) किया और फिर जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एम.ए. किया। दोनों बार उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे जे.एन.यू. से ही पीएच.डी. कर रहे थे, पर आपातकाल में गिरफ्तारी की वजह से उन्हें रिसर्च छोड़नी पड़ी।

येचुरी 1974 में माकपा की छात्र शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.एफ.आई.) में शामिल हुए थे और इसीलिए 1975 में लगे आपातकाल में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपातकाल के बाद वे जे.एन.यू. छात्र संघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने और प्रकाश करारत ने जे.एन.यू. को समाजवादी-

वामपंथी गढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन् 1978 में येचुरी एस.एफ.आई. के अखिल भारतीय अध्यक्ष चुने गए। पहली बार केरल व बंगाल से बाहर का कोई व्यक्ति एस.एफ.आई. का अध्यक्ष बना था। वर्ष 1984 में माकपा का संविधान संशोधित हुआ और पांच सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठित किया गया, जिसमें येचुरी, प्रकाश करारत, सुनील मोईरा, पी. रामचंद्रन, एस. रामचंद्रन, पिल्से जैसे युवा नेता शामिल किए गए थे, जिन्हें पोलित ब्यूरो के निर्देशानुसार काम करना था।

1992 में माकपा की चौदहवीं कांग्रेस में येचुरी को पोलित ब्यूरो का सदस्य बनाया गया और 19 अग्रेल 2015 में विशाखापट्टम में हुई 21 वीं कांग्रेस में वे पार्टी के पांचवें महासचिव बनाए गए। उनसे पहिले संघालक क

# मांड्या में सांप्रदायिक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उस शोभायात्रा पर पत्थर फेंके गए हैं। और शौर्भर, इस खबर ने साम्प्रदायिक रंग ले लिया।

मांड्या जिले, जिसके अन्दर उक्त गाँव स्थित है, के बहुत से दुकानदारों ने बताया कि झगड़ों के दौरान, उनकी दुकानों भी तोड़ी गई। पुलिस का कहना है कि झड़पें उस समय शुरू हुईं, जब शोभायात्रा एक धार्मिक स्थल से गुजरते वक्त धीमी हो गई थी।

पुलिस के अनुसार, शोभायात्रा उस पूजा-स्थल के पास स्थिर बनी रही तथा कथित रूप से, इस स्थिति के कारण झड़पें शुरू हो गईं। पुलिस के अनुसार, अब स्थिति नियन्त्रण में है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। मांड्या में 14 सितम्बर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर कहा, "मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि वह हमें सहयोग प्रदान करें तथा उत्तेजना का शिकार हुए बिना, स्वयं को नियन्त्रित रखें एवं शान्ति बनायें रखें।"

राज्य के गहमन्त्री जी परमेश्वर ने कहा